दैनिक [illegible]
2 मई 2015

राजस्थान पत्रिका
2.5.11

भारत सरकार
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
त्रिकूट-1, भीकाएजी कामा प्लेस, नई दिल्ली- 110066
सार्वजनिक सूचना

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम (अधिनियम संख्या 27, 1993) की धारा 9 (1) के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में शामिल करने के लिए नागरिकों के किसी भी वर्ग को पिछड़े वर्ग में शामिल करने की मांग की जांच करता है एवं इस सूची में अधिक या कम जोड़े गए किसी वर्ग की शिकायतों की सुनवाई करता है एवं आयोग की राय के अनुसार इस संबंध में भारत सरकार को अपनी राय प्रस्तुत करता है।

2. आयोग के अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति श्री [illegible] ईश्वरय्या, माननीय सदस्य श्री एस.के. खारवेन्तन, माननीय सदस्य श्री ए.के. सैनी, माननीय सदस्य डॉ. शकील-उज़-ज़मान अंसारी एवं माननीय सदस्य श्री ए.के. मंगोत्रा द्वारा 7 मई, 2015 गुरुवार को प्रातः 10.30 बजे से जयपुर में सार्वजनिक सुनवाई रखी गई है जिसमें निम्नलिखित जातियों/ समुदायों/ उप जातियों/ समानार्थक शब्दों को शामिल करने के लिए, जो कि अन्य पिछड़ा वर्गों की केन्द्रीय सूची में राजस्थान राज्य के लिए शामिल हैं सुनवाई करेगा, इसका कार्यक्रम निम्न प्रकार है:-

दिनांक : 7 मई, 2015 (गुरुवार)
स्थान : खासा कोठी, रेलवे स्टेशन के पास, जयपुर

S.No.	Castes/Communities to be heard (for and against inclusion)	
1	Kalal (Mewara), Kalal (Suwalka), Kalal (Jaiswal), Kalal (Ahluwalia), Kalal (Patel), Kalal	
2.	Krishak (Karsha), Rajpoot (Kharwad, Chacana, Unthad, Parmar, Kadecha, Teladera, Diya, Gol, Dashana) Bamq	
3	Moyla	
4	Nagori (Muslim)	
	Verification of the correct spelling of the following castes.	
	Sr. No. in the State List	Entry in the Central List
5	Chhipa (Chhipi), Bhavsar, Nama, Khatri	Chhippa (Chhipa), Nama, Bhavsar
	Chippa, Rangrej, Neelgar	
6	Gadaria (Gadri), Gayri, Ghosi (Gvala)	Gadaria (Gadri), Ghoshi (Gvala), Gaddi, Gayri
7	Gadia-Lohar, Gadolia	Gadia-Lohar, Gadolia
8	Maha-Brahmin (Acharaj), Fakir (Working in Kabristan)	Maha-Brahmin (Acharaj)
9	Nai, Sain, Vednai	Nai, Sain, Baldnai
10	Swarankar, Sunar, Soni, Jadia	Swarnakar, Sunar, Soni
11	Thathera, Kansara (Bharawa)	Thathera, Kansara (Bharawa)

3. उपरोक्त जातियों/ उप जातियों/ समुदायों के संघ (संघों)/ संगठन (संगठनों) और/ अथवा व्यक्ति (व्यक्तियों) से निवेदन है कि वे उपरोक्त कार्यक्रम के अनुसार आयोग के समक्ष उपस्थित होवें एवं जातियों/ उप जातियों/ समुदायों के संबंध में उपलब्ध सूचना/ डाटा प्रस्तुत करें। अन्य कोई संघ/ संगठन अथवा व्यक्ति जो उपरोक्त जातियों/ समुदायों के बारे में अपना पक्ष रखना चाहता हो वो भी उपस्थित हो सकता है।

4. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि व्यक्ति/ संघ/ संगठन जो किसी जाति/ समुदाय विशेष के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित होना चाहते हैं (पत्र अथवा लिखित में) उन्हें केवल उक्त नियत तारीख को ही सुना जाएगा। किसी अन्य तारीख को नहीं।

[illegible]/सी/3414/2015

डेली न्यूज़
2 मई 2015

पिछड़ा वर्ग की आयोग की सुनवाई सात को

जयपुर। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी. ईश्वरय्या सहित आयोग के अन्य सदस्यों की मौजूदगी में 7 मई को खासा कोठी में अन्य पिछड़ा वर्ग की केन्द्रीय एवं राजस्थान राज्य की सूची में शामिल जातियों की सार्वजनिक सुनवाई की जाएगी। आयोग के सदस्य एसके खारवेन्थन, एके सैनी, डॉ. शकील-उज़-ज़मान अंसारी एवं एके मंगोत्रा मौजूद रहेंगे। इस दौरान पिछड़ा वर्ग की केंद्र व राज्य की सूची में शामिल जातियों के नामों में त्रुटिकरण संबंधी शिकायतें सुनी जाएंगी। इसके अतिरिक्त जातियों, समुदायों व उपजातियों के समानार्थक शब्दों को शामिल करने के संबंध में और केंद्र व राज्य की पिछड़ा वर्ग सूची में अधिक या कम जोड़े वर्गों की सुनवाई भी होगी।

पंजाब केसरी 2.5.11

सार्वजनिक सुनवाई आयोजन 7 को

जयपुर (कासं): राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी. ईश्वरय्या सहित आयोग के अन्य सदस्य 7 मई प्रातः 10.30 बजे खासा कोठी में अन्य पिछड़ा वर्ग की केन्द्रीय एवं राजस्थान राज्य की सूची में शामिल जातियों की सार्वजनिक सुनवाई करेंगे। इस अवसर पर आयोग के सदस्य एस.के. खारवेन्थन, ए.के. सैनी, डॉ. शकील-उज़-ज़मान अंसारी एवं ए.के. मंगोत्रा उपस्थित रहेंगे। इस दौरान पिछड़ा वर्ग की केन्द्र व राज्य की सूची में शामिल जातियों के नामों में त्रुटिकरण संबंधी शिकायतें सुनी जाएंगी। इसके अतिरिक्त जातियों, समुदायों व उपजातियों के समानार्थक शब्दों को शामिल करने के सम्बन्ध में भी सुनवाई की जाएगी। इस सार्वजनिक सुनवाई में केन्द्र व राज्य की पिछड़ा वर्ग सूची में अधिक या कम जोड़े गए वर्गों की सुनवाई भी होगी। अन्य कोई संगठन अथवा व्यक्ति भी पिछड़ा वर्ग की केन्द्र व राज्य की सूची में शामिल जातियों व समुदायों के बारे में उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकेंगे।

दैनिक भास्कर
2 मई 2015

विशेष योग्यजन मेगा जॉब फेयर आज चयनित को मिलेगा नियुक्ति पत्र

सिटी रिपोर्टर, जयपुर

विशेष योग्यजन मेगा जॉब फेयर (चलन निःशक्त एवं श्रवण बाधित) का शुभारंभ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. अरुण चतुर्वेदी शनिवार को करेंगे। सूचना केंद्र में विशेष योग्यजन निदेशालय एवं सार्थक एजुकेशनल ट्रस्ट के सहयोग से आयोजित होने वाले मेले में भाग लेने वाली निजी कंपनियों द्वारा चयनित को नियुक्ति पत्र भी दिया जाएगा। विशेष योग्यजन निदेशक अम्बरीश कुमार ने बताया कि मेगा जॉब फेयर में कक्षा 10 से स्नातक तक की शैक्षणिक योग्यता रखने वाले लगभग 100 पात्र विशेष योग्यजनों को विभिन्न निजी कंपनियों में रोजगार उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि मेगा फेयर में टेलीफरमेन्स, जेनपेक्ट, ई-इन्फोसिस, रेड फोक्स, फोरच्यून, ली मेरिडियन, विशाल मेगा मार्ट जैसी निजी कंपनियां भाग लेंगी। उन्होंने बताया कि विशेष योग्यजन को रजिस्ट्रेशन फार्म साथ कागज में भरकर शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेजों एवं 40 प्रतिशत या अधिक का निःशक्तता का प्रमाण पत्र साथ संलग्न करना होगा।

रक्तदान शिविर में मंत्रियों ने की शिरकत तीन सौ यूनिट ब्लड हुआ डोनेट

सिटी रिपोर्टर | जयपुर

डागरिया ग्रुप के तत्वावधान में मालवीय नगर स्थित होटल ग्रेंड र्स्वल, 6 मई में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। शिविर में कैबिनेट मंत्री अरुण चतुर्वेदी, गुलाब चंद कटारिया और मेयर निर्मल नाहटा पहुचे। शिविर में आए लोगों को ज्यादा से ज्यादा ब्लड डोनेशन करने की अपील की। यह शिविर लघु उद्योग भारती के स्थापना दिवस और स्वर्गीय प्रो.एमएस डागरिया की पुण्य स्मृति में सुबह 9 से दोपहर एक बजे तक लगाया गया। उद्योग भारती के उत्तर पूर्व के अध्यक्ष योगेश गौतम ने बताया कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में संस्था की प्रत्येक शाखा द्वारा वर्ष में कम से कम एक सेवा कार्य अवश्य किया जाएगा। रक्तदान शिविर में 250-300 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ। शिविर में भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल, स्वास्थ्य कल्याण ब्लड बैंक, महात्मा गांधी हॉस्पिटल, मेट्रो मास हॉस्पिटल और केलगिरी आई हॉस्पिटल ने सहयोग दिया।

विशेष योग्यजन मेगा जॉब फेयर आज, चतुर्वेदी करेंगे शुभारंभ

ब्यूरो/नवज्योति, जयपुर

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. अरुण चतुर्वेदी शनिवार को सूचना केन्द्र में सुबह 10.30 बजे विशेष योग्यजन निदेशालय एवं सार्थक एजुकेशनल ट्रस्ट के सहयोग से आयोजित विशेष योग्यजन मेगा जॉब फेयर (चलन निःशक्तता एवं श्रवण बाधित) का शुभारंभ करेंगे।

इस दौरान वे मेले में भाग लेने वाली निजी कम्पनियों द्वारा चयनित आशार्थियों को नियुक्ति पत्र भी प्रदान करेंगे। विशेष योग्यजन के निदेशक अम्बरीश कुमार ने बताया कि मेगा जॉब फेयर में कक्षा 10 से स्नातक तक की शैक्षणिक योग्यता रखने वाले लगभग 100 पात्र विशेष योग्यजनों को विभिन्न निजी कम्पनियों में रोजगार उपलब्ध कराए जाने का लक्ष्य है।

उन्होंने बताया कि मेगा फेयर में टेलीफरफेन्स, जेनपेक्ट, ई-इन्फोसिस, रेडफोक्स, फोरच्यून, ली मेरिडियन, विशाल मेगा मार्ट आदि निजी कम्पनियां भाग लेंगी।

विशेष योग्यजन मेगा जॉब फेयर आज से

जयपुर, (कार्स)। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. अरुण चतुर्वेदी शनिवार को सूचना केन्द्र में विशेष योग्यजन निदेशालय एवं सार्थक एजुकेशनल ट्रस्ट के सहयोग से आयोजित विशेष योग्यजन मेगा जॉब फेयर (चलन निःशक्तता एवं श्रवण बाधित) का शुभारम्भ करेंगे। इस दौरान वे मेले में भाग लेने वाली निजी कम्पनियों द्वारा चयनित आशार्थियों को नियुक्तिपत्र भी प्रदान करेंगे। विशेष योग्यजन निदेशक अम्बरीश कुमार ने बताया कि मेगा जॉब फेयर में कक्षा 10 से स्नातक तक की शैक्षणिक योग्यता रखने वाले लगभग 100 पात्र विशेष योग्यजनों को विभिन्न निजी कम्पनियों में रोजगार उपलब्ध कराए जाने का लक्ष्य है।